राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1767 / SEIAA/2022
Date: 29-9-22

प्रति,

कलेक्टर
जिला – धार (म.प्र.)

विषयः– प्रकरण क्रमांक 9137/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री शिवनारायण मालवीय आत्मज श्री रूखडुसा मालवीय, निवासी ग्राम लोगसरी, तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 196/1, 198, 197, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम उण्डली, तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन। ।

प्रकरण में *SEAC* की 593 वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 लिये गये निर्णय उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** की 748वीं बैठक दिनांक 22.09.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया ....

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में परिलक्षित 03 खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक आकलित हो रहा है। यद्धपि जिला खनिज अधिकारी द्वारा एकल प्रमाण पत्र में 02 खदाने स्वीकृत होना बताया है जिनका कुल रकबा 3.50 हेक्टेयर उल्लेखित है। अतः प्रकरण में जिला कलेक्टर धार को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये कि खनिज एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित एवं परिधि से लगी हुई अन्य समस्त खदानों की वास्तविक जानकारी प्रस्तुत की जाये। जानकारी प्राप्त होने तक प्रकरण को डिलिस्ट निर्णित किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को यह भी सूचित किया जाये कि SEAC द्वारा अनुशंसित 20 पौधों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण उपरांत स्थल के अक्षांश देशांश सहित छायाचित्र प्रस्तुत किये जाय।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण में खनिज एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण करवाकर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित एवं परिधि से लगी हुई अन्य समस्त खदानों की वास्तविक स्थिती की जानकारी प्राधिकरण को प्रेषित करने का कष्ट करें।

o/c (श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव